22
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन

22.1 अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (आई.एल.सी.) का 91 वां सत्र दिनांक 03l से 20 जून 2003 के दौरान जेनेवा में आयोजित किया गया । परम्परानुसार तथा व्यवहार में, माननीय केन्द्रीय मंत्री डॉ0 साहिब सिंह जी तथा तत्कालीन माननीय श्रम राज्य मंत्री श्री संतोष गंगवार के नेतृत्व में एक त्रिपक्षीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें सरकार, नियोक्ता तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि शामिल थे, ने सम्मेलन में भाग लिया । नियोक्ता संगठन का प्रतिनिधित्व एस.सी.ओ.पी.ई., ई एफ.आई., ए.आई.ओ., सी.आई.ई., पी.एच.डी. सी.सी., सी.आई.आई. तथा एल.यू.बी. ने, जबकिं श्रमिकों का प्रतिनिधित्व बीएमएस, इंटक, एचएमएस, एआईटीयूसी तथा यूटी यूसी - एलएस ने किया । जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन का एक दल भी भारतीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल था । सम्मेलन में चर्चा हेतु निम्नलिखित मुख्य मुद्दे थे:

1 (क) प्रबंधकीय समिति के अध्यक्ष तथा महानिदेशक की रिपोर्ट

(ख) कार्य के आधारभूत सिद्धांतों तथा अधिकारों पर आई.एल.ओ. घोषणापत्र की अनुवर्ती कार्रवाई के तहत सार्वभौमिक रिपोर्ट

(ii) कार्यक्रम, वर्ष 2004-05 का बजट प्रस्ताव अन्य प्रश्न

(iii) सम्मेलनों तथा सिफारिशों के प्रयोग पर सूचना तथा रिपोर्ट

(iv) मानव संसाधन प्रशिक्षण तथा विकास-मानव संसाधन विकास अनुशंसा, 1975 (संख्या.150) (स्टेण्डर्ड सेटिंग, पहली चर्चा) की पुनरीक्षा।

(v) रोजगार से संबंधित संभावित क्षेत्र (आम चर्चा)।

(vi) आई.एल.ओ.मानक-व्यवसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित गतिविधियांः ऐसी गतिविधियों के लिए कार्य-योजना को विस्तार देने के दृष्टिकोण से चर्चा हेतु एक गहन अध्ययन (एकीकृत दृष्टिकोण पर आधारित आम चर्चा)

(vii) समुद्र-भाड़ा-पहचान की संशोधित सुरक्षा (मानक सेटिंग, एकल चर्चा के दृष्टिकोण से प्रोटोकॉल या अन्य प्रपत्र को स्वीकार करना)।

22.2 **वर्किंग आऊट आफ पॉवरटी -** पर महानिदेशक की रिपोर्ट पर माननीय श्रम मंत्री डॉ0 साहिब सिंह जी ने इस बात पर जोर दिया कि जाति समुदाय, धर्म तथा भोगोलिक विभिन्नता के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि अं.श्र.सं. की छत्र-छाया में एक अंतरराष्ट्रीय कौशल विकास निधि की स्थापना की जाए, जो कि गरीबी के उन्मूलन की रणनीति का एक आवश्यक

तत्व के रूप में कार्य करेगा तथा इससे गरीब देशों में बड़े पैमाने पर कौशल प्रशिक्षण-गतिविधि चलाने में तथा उनके बीच प्रतियोगितात्मक सुधार में मदद मिलेगी ।

22.3 सम्मेलन के दौरान एशिया - प्रशांत तथा गुट निरपेक्ष आंदोलन देशों के श्रम मंत्रियों ने भी भाग लिया । एशिया तथा प्रशांत देशों के श्रम मंत्रियों की बैठक में माननीय श्रम मंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया कि युवाओं की मदद के लिए गतिशील श्रम बाजार नीति तैयार की गयी है इसलिए इसे सरकार की आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों का एक अभिन्न अंग बनाने की जरूरत है । उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि क्षेत्र में युवा बेराजगारी की समस्या के समाधान हेतु युवाओं को राष्ट्रीय सीमाओं के आरपार बेरोकटोक आवाजाही पर ध्यान देने की जरूरत है । गुट निरपेक्ष आंदोलन देशों के श्रम मंत्रियों की बैठक में माननीय श्रम मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि घरेलू उद्योग में प्रतियोगिता बढ़ रही है तथा इसके लिए भूमडलीकरण के दुष्प्रभाव को कम करने हेतु पर्याप्त कदम उठाने की आवश्यकता है, खासकर घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए यह अत्यन्त ही आवश्यक है ।

22.4 चर्चा के दौरान तत्कालीन माननीय श्रम राज्य मंत्री श्री संतोष गंगवार ने ग्लोबल रिपोर्ट के विषय **"टाइम फॉर इक्वेलिटी-एट वर्क"** पर बोलते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भेदभाव को समाप्त करने के लिए कार्यस्थल एक रणनीतिक प्रवेश बिन्दु है। उन्होंने कहा कि गरीबी तथा भेदभाव के बीच एक मजबूत अंतरसंबंध है। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम एक व्यवहार्य गरीबी निवारण रणनीति को अपनाएं ताकि, गरीबी तथा भेदभाव बहुमुखी दूषित घेरे को तोड़ा जा सके।

22.5 ग्लोबल रिपोर्ट, "टाइम फॉर इक्वेलिटी एट वर्क" पर चर्चा के दौरान श्रम सचिव ने अंतर्राष्ट्रीय फोरम का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि भारत में लिंग समानता हमारी संस्कृति तथा विश्वास का एक अंग है ।

22.6 महानिदेशक की रिपोर्ट "वर्किंग आउट ऑफ पॉवर्टी" में भाग लेते हुए श्रम सचिव ने स्पष्ट करते हुए कहा कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के कारण छंटनी, बेरोजगारी, आंशिक रोजगार, आकस्मिक रोजगार तथा ठेका कार्य विकासशील देशों में लगातार बढ़ रहा है। तदनुसार, गुणवत्तापूर्ण रोजगार पैदा करना तथा पर्याप्त कुशल श्रम बल को सुसज्जित करना । श्रमिकों का राष्ट्रीय सीमाओं के आर-पार बिना बाधा के आवाजाही की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया तथा यह भी दोहराया गया कि सेवा के क्षेत्र में भूमंडलीकरण तथा बाजार पहुंच को अनिवार्य घटक के रूप में एक बड़े भूमंडलीकरण जैसे आंदोलन के लिए अं.श्र.सं. को अवश्य जोर डालना चाहिए।

22.7 लागू मानकों पर सम्मेलन समिति ने बलात् श्रम के संबंध में जांच करते समय भारत के साथ अन्य देशों को सूची में शामिल किया । एक जोरदार हस्तक्षेप के द्वारा भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस विषय पर सरकार द्वारा उठाये गये विभिन्न कदमों की जानकारी समिति को दी ।

22.8 मानव संसाधन प्रशिक्षण तथा विकास से संबंधित समिति ने मानव संसाधन विकास अनुशंसा 1975 (सं. 150) के संशोधन पर चर्चा की । समिति ने प्रस्ताव पर कुछ उपयुक्त संशोधन करते समय निर्णय लिया कि इस मुद्दे को, अनुशंसा की स्वीकृति हेतु, दूसरी चर्चा के लिए, सम्मेलन की अगली सत्र की कार्यसूची में शामिल किया जाएगा।

22.9 पेशागत सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अं.श्र.सं. मानकों से संबंधित गतिविधियों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने जोर देते हुए कहा कि श्रमिकों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य भारत सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए, सरकार के द्वारा किया जाना वाला प्रत्येक प्रयास श्रमिकों की पेशागत सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में आशंका से सुरक्षा प्रदान करना है। सरकारी सदस्यों ने सुझाव दिए तथा कई संशोधनों का समर्थन किया, जिसे बाद में समिति ने स्वीकार कर लिया।

22.10 "ऑन द स्कोप ऑफ एंपलॉयमेंट रिलेसनशीप" विषय पर चर्चा के दौरान यह सूचित किया गया कि भारतीय संसदीय लोकतंत्र में सामाजिक वार्तालाप एक सुस्वीकृत सिद्धांत है। उच्च स्तर पर सामाजिक सहयोगियों के साथ महत्वपूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की गई तथा हमारी त्रिपक्षीय सामाजिक परम्परा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास का सबसे बड़ा स्त्रोत बन चुका है । इस विषय की समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि सभी श्रम बाजार कर्ताओं के हितों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है ताकि, श्रमिकों के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा या कार्य के प्रबंधन की एक वृहत्त विभिन्नताओं को एक उपयुक्त कानूनी प्रारूप के भीतर लाया जा सके।

22.11 समुद्र भाड़ा समिति की रिपोर्ट पर भारत के प्रतिनिधि ने कहा कि चूंकि कन्वेंशन सं. 108 लगभग 40 वर्ष से अधिक पुराना हो चुका हैं, अत: इसके नवीनीकरण की जरूरत थी खासकर, 11 सितम्बर, 2001 की दुर्घटना के बाद। प्रस्तावित नए कन्वेंशन देशों में प्रवेश हेतु वीसा की बढ़ती मांग के लिए तथा पारगमन समुद्र भाड़े के संबंध में एक नये औजार का प्रयोग करना चाहिए। तकनीक विकसित की जा रही है, वह कम लागत में तत्काल उपलब्ध होनी चाहिए।

22.12 अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के वर्ष 2004-05 के कार्यक्रम तथा बजट पर भी चर्चा हुई एवं जिसके प्रस्ताव पर भारत ने सहमति प्रदान की ।

22.13 विभिन्न समितियों द्वारा की गयी अनुशंसा तथा निष्कर्ष पर प्रारम्भिक सत्र में चर्चा की गयी । सम्मेलन के प्रारम्भिक सत्र को स्वीकति देते समय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न समितियों द्वारा तैयार विभिन्न अनुशंसाओं तथा निष्कर्षों का समर्थन किया, जोकि भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप था ।

22.14 कुल मिलाकर प्रारंभिक सत्र में चर्चा तथा विचार-विमर्श में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की विभिन्न समितियों में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का योगदान बहुत ही सार्थक तथा लाभदायक रहा। सत्र के दौरान भारत ने एशिया-प्रशांत ग्रुप समन्वय का भार कोरिया गणतंत्र से ग्रहण किया ।

अ.श्र. सं. की प्रबंधकीय समिति की बैठकें:-

22.15 दिनांक 6 से 28 मार्च, 2003 के दौरान जेनेवा में आयोजित अं.श्र.सं.के प्रबंधकीय समिति के 286 वाँ सत्र आयोजित किया गया । कुछ मुद्दे चर्चा हेतु सामने आए: (i) फ्रिडम ऑफ एसोशिएशन की समिति । (ii) भूमंडलीकरण एवं सामाजिक आयाम के शासन तथा सामाजिक सहभागिता का मुद्दा । (iii) अं.श्र.सं. के मानक सेटिंग गतिविधियों की संभावित सुधार तथा प्रत्यायक समिति की

भूमिका । (iv) तकनीकी सहयोग की मध्यावधि समीक्षा । (v) वैश्विक रोजगार कार्यसूची के कोर इंलेमेंटस तथा नीति प्रतिक्रिया वैश्विक रोजगार रूझान एवं जिम्मेवार नीति उदाहरण की समीक्षा । (vi) अ.श्र.स. की क्षेत्रीय गतिविधि कार्यक्रम की समीक्षा (vii) अं.श्र.सं.निधि के खाते की वित्तीय प्रबंधन स्थिति, आंतरिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट, वित्तीय विनियम, अतिरिक्त बजटीय संसाधन , आबंटन तकनीकी आदि ।

22.16 प्रबंधन समिति की 287वीं एक दिवसीय बैठक 21 जून, 2003 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 91वें अधिवेशन के तुरंत बाद हुई। इसमे अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मद शामिल थे:- (i) वर्ष 2003-04 के लिए प्रबंधन समिति के अधिकारियों का चुनाव (ii) अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 91वें सत्र में उठाए गए प्रश्न (iii) भूमंडलीकरण के सामाजिक आयाम पर विश्व आयोग: अद्यतन प्रगति। (iv) दसवें अफ्रिकी क्षेत्रीय बैठक की व्यवस्था (v) कोलंबिया के लिए विशेष तकनीकी सहयोग कार्यक्रम। (vi) वर्ष 2004-05 में क्षेत्रीय कार्रवाई कार्यक्रम तथा बैठकों के लिए विषय (vii) फ्रिडम ऑफ एशोसिएशन पर समिति की रिपोर्ट (viii) कार्यक्रम, वित्तीय तथा प्रशासकीय समिति की रिपोर्ट (ix) स्थायी समिति तथा बैठकों का गठन तथा कार्यसूची इत्यादि ।

22.17 अं.श्र.सं.की प्रबंधन समिति का 288 वां सत्र जेनेवा में 6 से 21 नवम्बर, 2003 तक चला। चर्चा हेतु कुछ मुद्दे सामने आए - (i) फ्रिडम ऑफ एशोसिएशन पर समिति की रिपोर्ट (ii) अच्छा शासन तथा व्यापारिक सामाजिक जिम्मेवारी एवं श्रम मानकों के लिए सामाजिक भागीदारी (iii) अं.श्र.सं. की मानक सेटिंग गतिविधियों में संभावित सुधार तथा मौलिक अं.श्र.सं. सम्मेलन की प्रत्यय पत्र समिति, तकनीकी सहायता एवं अनुसमर्थन तथा पदोन्नति की भूमिका (iv) अं.श्र.सं. द्वारा अपने ऊपर लिए गए तकनीकी सहयोग कार्यक्रम की समीक्षा (v) वैश्विक रोजगार कार्यसूची, सक्रिय श्रम बाजार नीति, एच.आई.वी/एड्स तथा शालीन कार्य एवं अं.श्र.सं. शालीन कार्य पायलट परियोजना की समीक्षा । (vi) क्षेत्रीय गतिविधियों में एक नए प्रस्ताव तथा अं.श्र.सं. निधि के खाते की वित्तीय प्रबंधन-स्थिति, वित्तीय विनियम, अतिरिक्त निर्धारित बजटीय संसाधनों, आबंटन तकनीक आदि ।(vii) अ.श्र.स. के वर्ष 2006-09 के लिए रणनीतिक कार्यप्रारूप । (viii) निर्णय करने वाली निकाय-प्रबंधन समिति की कार्यप्रणाली में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन । (ix) अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन (2005) के 93वें सत्र की कार्यसूची आदि ।

22.18 उपर्युक्त वर्णित अ.श्र.स. के गर्वनिंग बॉडी सत्र में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा में डॉ0 पी.डी. शिनॉय, श्रम सचिव तथा जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन के प्रतिनिधि श्री ए.वी. सिंह, निदेशक ने भाग लिया ।

22.19 भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी रात्रि कार्य (महिला) कनवेंशन (संशोधित) 1948 पर जारी संलेख महानिदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को श्रम सचिव ने प्रस्तुत की । इस संलेख में रात्रि समय के लिए महिलाओं को कार्य पर लगाने के लिए लचीलापन अपनाया गया है।

22.20 भारत ने अब तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 184 कन्वेंशन में से 39 का समर्थन किया है। भारत द्वारा समर्थित अतंर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेशन सारणी 22 में दिए गए हैं।

22.21 भारत अ.श्र.सं. का संस्थापक देश हे और इसके प्रांरभ से ही इसकी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। प्रमुख औद्योगिक महत्ता वाले 10 देशों में से एक होने के कारण भारत को प्रबंधन समिति के सरकारी दल में अचयनित सीट प्राप्त हैं, जो कि संगठन का कार्यकारी विंग हैं।

22.22 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को वित्तीय सहायता मुख्यतः सदस्य राज्यों के अंशदान से मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का बजट कैलेंडर वर्ष के अनुसार चलता और सदस्य राज्यों की सरकार अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा वर्षानुवर्ष आधार पर निर्धारित स्केल, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल्यांकंन स्केल के अनुसार है, के द्वारा वार्षिक अंशदान अदा करती है। हम गत 7-8 वर्षो से समय पर अंशदान के भुगतान के कारण अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2003 के लिए भारत ने अतंर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 175691/ स्विस फ्रैंक अथवा 3,97,92,000.00/- रूपये का अंशदान किया ।

22.23 अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा भारत का साहसिक एवं सक्रिय संबंध है जो कि पिछले कई वर्षो से सूक्ष्म और गत्यात्मक सहयोग से चल रहा है। भारत अतंर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के तकनीकी सहयोग कार्यकमों में सक्रिय भागीदारी कर रहा है।

अ.श्र.स. को भारत का सहयोग

22.24 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) ने भारत के कई संस्थानों उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं का उपयोग किया है। इन संस्थानों में केन्द्रीय श्रम संस्थान (मुम्बई), क्षेत्रीय श्रम संस्थान (कोलकाता,कानपुर एवं चेन्नई) रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान भारतीय प्रबंधन संस्थान तथा भारतीय तकनीकी संस्थान शामिल हैं। राष्ट्रीय कंसलेटटीव काउसिल ऑफ वर्कर्स एजुकेशन बांगलादेश के ट्रेड यूनियन के नेताओ के प्रतिनिधिमंडल ने भारत की एक अध्ययन यात्रा की।

22.25 भारत अ.श्र.सं. की गतिविधियों के लिए तकनीकी जनशक्ति को उपलब्ध कराता है। कई राष्ट्रीय विशेषज्ञों को विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन करने के लिए ठेके दिए गए ।

तकनीकी सहयोग कार्यक्रम

22.26 भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के तकनीकी सहयोग के अंतर्गत रोजगार, व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य, कार्य दशाओं में सुधार, प्रशिक्षण सुविधाओं को अद्यतन करना, प्रबंधन परामर्श में विकास, ग्रामीणों एवं महिलाओं के लिए लघु उद्योग कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम, उच्च तकनीकी व्यावसायिक प्रशिक्षण, श्रमिक शिक्षा इत्यादि भारतीय श्रम से संबंधित विभिन्न क्षेत्र आते है। इनमें से 14 परियोजनाओं तथा संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न स्तर पर कार्रवाई चल रही है ।

22.27 भारत को व्यावहारिक अध्ययन के लिए, परियोजनाएं तैयार करने के लिए, तथा ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशालाएं आयोजित करने जहां पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विशेषज्ञ स्त्रोत के रूप

में कार्य करते हैं, के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की तकनीकी सहायक मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की तकनीकी सहायता मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की नई सक्रिय भागीदारी नीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा भारत के बीच साझेदारी को नई दिल्ली स्थित बहु आयामी दलों (आई.एल.ओ.एस.ए.ए.टी.): बैंकाक में क्षेत्रीय कार्यालय तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुख्यालय के तकनीकी विभागों द्वारा तकनीकी समर्थन प्राप्त है। वर्ष के दौरान, तकनीकी विशेषज्ञों ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानको एवं सांख्यिकी में परामर्श दिया तथा भविष्य में संभावित साझेदारी के क्षेत्रों पर भी विचार विमर्श किया। सरकार ने श्रमिकों और नियोक्ताओं के संगठनों के साथ मिलकर आगामी वर्षो हेतु देश के महत्वपूर्ण लक्ष्यों की पहचान करने में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ गहन कार्य किया। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन, बालश्रम निवारण, कार्यदशाओं के प्रबंधन, और जोखिम क्षेत्रों में व्यावसायिक एंव स्वास्थ्य सुरक्षा की प्रक्रिया में रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना था।

आई.एल.ओ.की बैठक जिनमें भारत ने भाग लिया

22.28 वर्ष 2003 के दौरान भारत ने आई.एल.ओ.द्वारा आयोजित 67 राष्ट्रीय बैठकों में तथा 24 अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों में भाग लिया।

विदेशी प्रशिक्षणों/कार्यशालाओं इत्यादि में भागीदारी

22.29 वर्ष के दौरान आई.एल.ओ, यू एन डी पी तथा तकनीकी सहयोग विकास कार्यक्रमों द्वारा दी गई फैलोशिप के अंतर्गत कई अधिकारियों को प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, सेमिनार और बैठकों के लिए नामित किया गया है।

तालिका-22

भारत द्वारा समर्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन.

क्र.सं.	कन्वेंशन	समर्थन तिथि
1	सं0-1कार्य घंटे (उद्योग) कन्वेंशन 1919	14.7.1921
2*	सं0 2 बेरोजगारी कन्वेंशन, 1919	14.7.1921
3	सं0 4 रात्रि कार्य (महिलाएं) कन्वेंशन 1919	14.7.1921
4	सं0 5 न्यूनतम आयु (उद्योग) कन्वेंशन 1919	9.9.1955
5	सं0 6 युवाओं का रात्रि कार्य (उद्योग) 1919	14.7.1921
6	सं0 11 संबद्धता का अधिकार (कृषि) कन्वेंशन 1921	11.5.1923
7	सं014 साप्ताहिक आराम (उद्योग) कन्वेंशन 1921	11.5.1923
8	सं015 न्यूनतम आयु (ट्रिमर्स एंड स्टोकर्स) कन्वेंशन 1921	20.11.1922
9	सं016 युवाओं की चिकित्सा परीक्षा (समुद्र) कन्वेंशन 1921	20.11.1922
10	सं0 18 श्रमिक प्रतिपूर्ति (व्यवसायिक बीमारी) कन्वेंशन 1925	30.9.1927
11	सं019 उपचार की समानता (दुर्घटना प्रतिपूर्ति) कन्वेंशन 1925	30.9.1927
12	सं0 21 उत्प्रवासी निरीक्षण कन्वेंशन 1926	14.01.1928
13	सं0 22 सीमेन्ट आर्टिकल्स समझौता कन्वेंशन 1926	30.10.1932
14	सं0 26 न्यूनतम आय निर्धारण तंत्र कन्वेंशन 1928	10.1.1955
15	सं0 27 भार चिन्हीकरण (पोतों द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले पैकेज) कन्वेंशन 1929	7.9.1931
16	सं0 29 बलप्रयोग श्रम कन्वेंशन 1930	30.11.1954
17	सं0 32 दुर्घटनाओं से बचाव (डॉकर्स) संशोधित कन्वेंशन 1932	10.2.1947
	सं0 41 रात्रि कार्य (महिला) कन्वेंशन (संशोधित) 1934	22.11.1935
18@	सं0 42 श्रमिक प्रतिपूर्ति (व्यवसायिक बीमारी) कन्वेंशन (संशोधित)	13.1.1964
19	1934	
20	सं0 45 भूमिगत कार्य (महिला) कन्वेंशन 1935	25.3.1938
21	सं0 80 फाइनल आर्टिकल संशोधन कन्वेंशन 1946	17.11.1947
22**	सं0 81 श्रम निरीक्षण कन्वेंशन 1947	7.4.1949
23	सं0 88 रोजगार सेवा कन्वेंशन 1948	24.6.1959
24	सं0 89 रात्रि कार्य (महिला) कन्वेंशन, संशोधित 1948	27.2.1950
25	सं0 90 युवाओं का रात्रि कार्य (उद्योग) कन्वेंशन (संशोधित) 1948	27.2.1950
26	सं0 100 समान मेहनताना कन्वेंशन 1951	25.9.1958
27	सं0107 देशी एवं आदिवासी जनसंख्या कन्वेंशन 1957	29.9.1958
28	सं0111 भेदभाव (रोजगार एवं व्यवसाय) कन्वेंशन 1958	3.6.1960
29	सं0116 फाइनल आर्टिकल्स संशोधन कन्वेंशन 1961	21.6.1962
30#	सं0 118 उपचार की समानता (सामाजिक सुरक्षा) कन्वेंशन 1962	19.8.1964
31@@	सं0123 न्यूनतम आयु (भूमिगत कार्य) कन्वेंशन 1965	20.3.1975
32	सं0115 विकिरण बचाव कन्वेंशन 1960	17.11.1975
33	सं0 141 ग्रामीण श्रमिक संगठन कन्वेंशन 1975	18.8.1977

34	सं0 144 त्रिपक्षीय परामर्श (अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक मानक) कन्वेंशन 1976	27.2.1978
35	सं0136 बेन्जीन कन्वेंशन 1971	11.6.1991
36##	सं0160 श्रमिक सांख्यिकी कन्वेंशन 1985	1.4.1992
37	सं0 147 मर्चेट शिपिंग (न्यूनतम मानक) कन्वेंशन 1976	26.9.1996
38	सं0 122 रोजगार नीति कन्वेंशन 1964	17.11.1998
39	सं0 105 बलात् श्रम उन्मूलन नीति 1957	18.5.2000

* बाद में समाप्त, सम्मेलन की आवश्यकतानुसार, प्रति तिमाही में बेरोजगारी से संबंधित सांख्यिकी की आंतरिक तैयारी, जिसे व्यावहारिक नहीं पाया गया ।

@ सम्मेलन संख्या 89 के अनुसमर्थित परिणामस्वरूप सम्मेलन समाप्त ।

** भाग-।। को छोड़कर

शाखाएँ (सी) तथा (जी) एवं शाखाएं (ए) से (सी) तथा (ए-1)

@@ प्रारम्भ में न्यूनतम आयु 16 वर्ष की गयी थी लेकिन 1989 में इसे बढ़ाकर 18 वर्ष की गयी ।

भाग-।। का अनुच्छेद 8

स्रोत :- श्रम मंत्रालय